डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रैट (फास्ट ट्रैक)आमेर, मु. जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)**

दावा सं.:– **202/2013**

उनवान :– **रामधन बनाम भूरा व अन्य**

1. रामधन पुत्र मु. भुन्नी बेवा नींबू उर्फ भंवरलाल
   जाति माली, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर जिला जयपुर, हाल निवासी शांति नगर, झोटवाडा, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. भूरा पुत्र छाजू,
2. जगदीश
3. हनुमान — पि. सुन्दरया
4. पप्पू
5. मु. मन्नी बेवा सुन्दरया
6. राजू — पि. छोटया
7. नन्छू
8. कानाराम — पि. छोटया नाबालिग जरिये संरक्षिका माता भौरी देवी
9. गीतादेवी
10. कातीदेवी
11. मु. भौरीदेवी पत्नि छोटया
12. बाबू — पि. जालिया
13. महेश
14. कैलाश
15. हनुमान — पि. काल्या
16. प्रभूलाल
17. सुवालाल
18. सुमनी पुत्री काल्या नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गीतादेवी
    समस्त जाति माली, निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।
19. उप पंजीयक आमेर जयपुर
20. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

21. ग्राम पंचायत अचरोल जरिये हाल सरपंच पं.स. आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

22. शिम्भु दयाल पि.मु. निक्कु उर्फ भैरू

जाति–माली, निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 06.09.19

वादी मान्य दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने कथनों को सिद्ध नहीं कर सका है। अतः उक्त परिपेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुऐ साक्ष्य के अभाव में वाद वादी खारिज किया जाता है।

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(प्रभारी) आमेर मु., जयपुर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

आमेर मु. जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा		–
स्टाम्प वकालतनामा	1 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	5 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर
सत्यमेव जयते

दावा सं.:– **202/2013**

उनवान :– **रामधन बनाम भूरा व अन्य**

रामधन पुत्र मुं. मुन्नी बेवा नींबू उर्फ भंवरलाल जाति माली, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर जिला जयपुर, हाल निवासी शांति नगर, झोटवाडा, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. भूरा पुत्र छाजू
2. जगदीश | पि. सुन्दरया
3. हनुमान |
4. पप्पू |
5. मु. मन्नी बेवा सुन्दरया
6. राजू | पि. छोटया
7. नन्छू |
8. कानाराम | पि. छोटया नाबालिग जरिये संरक्षिका माता भौरी देवी
9. गीतादेवी |
10. कालीदेवी |
11. मु. भौरीदेवी पत्नि छोटया
12. बाबू | पि. जालिया
13. महेश |
14. कैलाश |
15. हनुमान | पि. काल्या
16. प्रभूलाल |
17. सुवालाल |
18. सुमनी पुत्री काल्या नाबालिग जरिये संरक्षिका [illegible] देवी

    समस्त जाति माली, निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।
19. उप पंजीयक आमेर जयपुर
20. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जयपुर।
21. ग्राम पंचायत अचरोल जरिये हाल सरपंच पं.स. आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

22. शिम्भु दयाल पि.मु. निक्कु उर्फ भैरू
जाति–माली, निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 06.09.19

ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित हाल ख.नं. 3960/7863 ख.नं. 3979, ख.नं. 3982 लगायत 3995, ख.नं. 3998, 3999 एवं ख.नं. 4000 लगायत 4019 कुल किता 38 कुल रकबा 5.48 है., के सन्दर्भ में वाद बाबत तकासमा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर वादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त आराजी है, जिसमें वादी के पिता स्व. नींबू उर्फ भंवरलाल पुत्र छाजू का 1/4 हिस्सा निहित है, **वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी की माताजी मु. मन्नी देवी पत्नी नींबू के नाम वादी के मृतक पिता का नामान्तरण दर्ज किया गया। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के समय वादी की उम्र 2 वर्ष की होने के कारण राजस्व रिकार्ड में सहवन से विरासत का नामान्तरण वादी के नाम तस्दीक नही हुआ। जिसकी वादी को पूर्व में जानकारी नही थी। विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार वादी की माता मुन्नीदेवी का स्वर्गवास 6 माह पूर्व हो गया है तथा मृतका का एक मात्र वारिस वादी ही है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी का वारिस है, जिसे अपनी माता की मृत्यु के उपरान्त स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम खातेदार(वारिस) के रूप में अमल दरामद नही हुआ है** तथा राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण तस्दीक हुए बिना ही यह वाद आवश्यक प्रवृति का होने के कारण प्रस्तुत किया गया है तथा वादी के द्वारा मात्र अपनी मृतक माता मुन्नी देवी के स्थान पर स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की घोषणा चाही गई है। वादी द्वारा यह भी वर्णित किया गया है कि वादी के स्व. पिता नींबू पुत्र छाजू की मृत्यु के समय वादी केवल 2 साल का था। वादी कभी अपने ननिहाल व कभी अचरोल में रहता है तथा मृतक माता पिता का मात्र एक उतराधिकारी है, जिससे अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का वादी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस कारण यह वाद बाबत घोषणा का न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित आराजी है तथा वादी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है तथा वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की आराजी का मिटस एण्ड बाउण्ड्री से विभाजन करवाये। इसलिये वाद बाबत विभाजन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बाद विभाजन स्वयं के हिस्से में आई भूमि के उपभोग–उपभोग के लिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये की वें वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही क़रें। विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी है जिस पर वादी की माता द्वारा स्वयं के हिस्से पर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त की जाती रही है तथा माताजी के स्वर्गवास के पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

वादी द्वारा काश्त की जा रही परन्तु प्रतिवादीगण भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। दिनांक 31.07.2006 को प्रतिवादीगण द्वारा बिना विभाजन करवाये भूमि को अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी वादी को देने के कारण वाद उत्पन्न हुआ, जो आज भी निरन्तर जारी है। इसी कारण वह वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिक्री किया जाकर की वर्णित आराजीयात में वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया जावें तथा वर्णित आराजी का मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि वें बाद विभाजन वादी के हिस्से में आई भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है–

(1) सत्यप्रतिलिपि– जमाबन्दी सम्वत 2062–2065 (किता–4)

(2) छाया प्रति– पहचान पत्र वादी

(3) साक्ष्य शपथ पत्र– वादी रामधन पुत्र नींबू उर्फ भंवरलाल

(4) साक्ष्य शपथ पत्र– रामशरण पुत्र पोखरमल सैनी

(5) प्रमाणित प्रतिलिपि– निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर
निर्णय दिनांक 21.12.2016 बाबत ग्राम पंचायत अचरोल द्वारा जारी नामान्तरण सं. 389 दिनांक 21.05.2006 निरस्त किया जानें।

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 6, 7, 9 लगायत 12, 14 लगायत 17 द्वारा अपने जवाब वादपत्र में अभिकथन किया गया है कि **वादग्रस्त आराजी ना तो वादी के सयुक्त परिवार की आराजीयात है तथा ना ही वादी स्व. नींबू उर्फ भैरू पुत्र छाजू का पुत्र है। नींबू उर्फ भैरू नाऔलाद फौत हुआ था।** निंबू उर्फ भैरू की पत्नि मुन्नी देवी का देहान्त दिनांक 20.11.2001 को हो चुका है तथा **मृतक खातेदार नींबू उर्फ भैरू एवं मुन्नी देवी ने अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी जाईन्दा पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दिया था।** जिससे मृतक खातेदार **नींबू उर्फ भैरू एवं मुन्नीदेवी ने सामाजिक रीति रिवाज के द्वारा शिम्भूदयाल पुत्र जालूराम को उसके बचपन में ही गोद ले लिया था।** जिसके आधार पर उक्त दोनों खातेदारों के फौत होने पर गोद पुत्र शिम्भूदयाल मु. पुत्र नींबू उर्फ भैरू के पक्ष में विरासत के आधार पर विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में फौती नामान्तरण तस्दीक हो चुका है तथा शिम्भूदयाल मु. पुत्र नींबू उर्फ भैरू का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी के इस कथन के कि **वादी की माता मुन्नी देवी के नाम खुल नामान्तरण के समय वादी की उम्र 2 वर्ष की थी,** के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण द्वारा अभिकथन किया गया है कि वादे उक्त नामान्तरण के समय वादी की उम्र 2 वर्ष की थी **तो वादी के नाम नामान्तरण बतौर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता के खुलता।** इसके अतिरिक्त **वादी द्वारा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पंचायत द्वारा जारी वारिसनामा भी पेश नही किया गया।** यदि वादी उक्त खातेदार का जाईन्दा वारिस होता तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

अपने पिता की मृत्यु की तारीख एवं उससे संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करता। लेकिन वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किया है। इनके अतिरिक्त वादी ने नींबू उर्फ भंवर का हिस्सा 1/4 भाग बताया है जो गलत है क्योकि मृतक खातेदार का नाम नींबू उर्फ भंवर ना होकर नींबू उर्फ भैरू है तथा मृतक खातेदार का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा भी 1/4 नही होकर 1/6 भाग दर्ज है। जिस पर मृतक खातेदार के गोद पुत्र शिम्भूदयाल मु. पुत्र नींबू उर्फ भैरू काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र में आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि वादी का यह कहना भी गलत है कि वादी के पिता की मृत्यु के समय वादी की उम्र 2 साल की थी तथा वादी द्वारा यह भी अंकित नही किया गया है कि वादी की माता की मृत्यु के समय वादी की उम्र कितनी थी। यदि वादी की माता की मृत्यु के समय वादी बालिग हो गया था तथा माता पिता का एकमात्र वारिस था/है तो **वादी खातेदार मुन्नी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंचायत से वारिसनामा बनवाता तथा फौती नामान्तरण की कार्यवाही करवाता।** लेकिन वादी ने ऐसा कुछ नही किया क्योकि मृतक खातेदार नींबू उर्फ भैरू एवं मुन्नीदेवी से वादी का कोई संबंध नही है और ना ही वादी को यह पता की मु. मुन्नी देवी का देहान्त कब हुआ। वादी ना तो कभी ग्राम अचरोल में रहा और ना ही वादग्रस्त आराजी पर आज दिन तक काबिज काश्त रहा है। इसलिए वादी किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। वादी का खातेदार नींबू उर्फ भैरू और मुन्नी देवी से कोई संबंध नहीं है क्योकि **दोनो खातेदारों की मृत्यु नाऔलाद हुई थी।** इसलिए वादी ना तो उक्त खातेदारों का उतराधिकारी है ओर ना ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। **वादी को अपने माता–पिता की मृत्यु हो जाने पर फौती नामान्तरण की कार्यवाही करनी चाहिए थी।** लेकिन वादी द्वारा ऐसा कुछ नही करके मनगढंत तथ्यों के आधार पर घोषणा का वाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जो काबिले खारिज है। वादग्रस्त आराजीयात वादी के हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति नही है तथा ना ही वादी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है। जिससे वादी को कोई अधिकार नहीं है कि वह वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाये। इसके अतिरिक्त वादी ना तो वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है ओर ना ही वादी लगान सरकारी जमा करवाता है। यदि जमा करवाता है तो वादी को पत्रावली में लगान रसीदे पेश करनी चाहिए थी लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। क्योकि वादी का उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नही है। इसलिए वादी को कोई हक व अधिकार नहीं है कि वह प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक आराजी नहीं है और ना ही वादी उस पर काबिज काश्त है। अतः जब वादी मौके पर काबिज ही नहीं है तो उसके उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण के द्वारा बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही पैदा नही होता । इसलिए वादी का वाद सरासर गलत तथ्यों एवं वास्तविकता से विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

(1) छाया प्रति– ग्राम पंचायत अचरोल द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र (दिनांक 22.12.2004)

(2) छाया प्रति– मृत्यु प्रमाण पत्र मुन्नीदेवी (जारी दिनांक 06.03.2003)

(3) छाया प्रति– मृत्यु प्रमाण पत्र भैरू उर्फ नींबू (जारी दिनांक 02.05.1997)

(4) छाया प्रति– प्रार्थना पत्र बाबत वारिसनामा लेने (दिनांक 04.12.2004)

(5) छाया प्रति– प्रार्थना पत्र बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने

(6) छाया प्रति– जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 किता–2 (जारी दिनांक 08.07.2006)

(7) छाया प्रति– जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 किता–1

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1 आया वादी ग्राम 'अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि कुल खसरा किता 38 कुल रकबा 5.48 है. है। जिसका वर्णन वाद पत्र के मद सं. 1 में किया गया है, का भूमि के पूर्व खातेदार स्व. नींबू उर्फ भंवर लाल पुत्र छाजू तथा मु. मुन्नीदेवी पत्नि नींबू उर्फ भंवरलाल का एक मात्र पुत्र होने से स्वयं को उक्त खातेदारान के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

–वादी

2 आया वादी वाद अधीन भूमि का कुल खसरा किता 38 कुल रकबा 5.48 है. है। बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाने का अधिकारी है।

–वादी

3 आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें।

–वादी

4 आया वादग्रस्त आराजी ना तो वादी के सयुक्त परिवार की आराजी है ओर ना ही वादी स्व. नीबू उर्फ भंवरलाल पुत्र छाजू का पुत्र है।

–प्रतिवादीगण

5 आया नींबू उर्फ भैरू नाओलाद फोत हुआ था मृतक खातेदार नींबू उर्फ भैरू एवं नींबू की पत्नि मुन्नी देवी ने वैवाहिक जीवन में किसी भी जाईन्दा पुत्र अथवा पुत्री को जन्म नहीं दिया था। जिससे वादी को नींबू उर्फ भैरू व मुन्नी देवी से ... नहीं होने से वादी इनका कोई उतराधिकारी नहीं है। ना ही इनके हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

6 आया मृतक खातेदार नींबू उर्फ भैरू व मुन्नी देवी ने सामाजिक रीति रिवाज के द्वारा शिम्भूदयाल पुत्र जालूराम को उसके बचपन में ही गोद ले लिया था जिसके आधार पर उक्त

सहायक ... कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

दोनो खातेदारों के फोत होने पर गोद पुत्र शम्भूदयाल का विरासत के आधार पर फौती नामान्तरण तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है.

–प्रतिवादीगण

7 आया मृतक खातेदार का नाम नींबू उर्फ भंवर ना होकर नींबू उर्फ भैरू है तथा मृतक खातेदार का रिकार्ड में 1/4 भाग नहीं होकर 1/6 भाग दर्ज है जिस पर मृतक का गोदपुत्र शिम्भूदयाल पुत्र नींबू उर्फ भैरू काबिज काश्त है।

–प्रतिवादीगण

8 आया वाद प्रस्तुती से पूर्व प्रतिवादी सं. 20 को धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वाद वादी खारिज योग्य है।

–प्रतिवादीगण

9 आया वाद कारण के अभाव में तथा मियाद बाहर होने से वाद वादी खारिज योग्य है।

–प्रतिवादीगण

10 अनुतोष

अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते प्रतिवादीगण के मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। जिसके क्रम में वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र स्वयं वादी रामधन व गवाह रामशरण पुत्र पोखरमल के पेश किये गये एवं वादपत्र से विभाजन का अनुतोष विड्रो किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियें जाने पर नियमानुसार सुनवाई की जाकर विभाजन की हद तक वाद खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। जिसके क्रम में अधिवक्ता वादी की बहस अन्तिम सुनी गई।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। जिसके क्रम में प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है–

तनकी सं 1:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। जिसके क्रम में वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी अथवा मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वादी के पिता भंवरलाल का एक अन्य नाम नींबू पुत्र छाजू भी था तथा इसके अतिरिक्त वादी की माता का नाम मुन्नी देवी पत्नी भैरू उर्फ नींबू होने संबंधि भी कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा स्वयं की पहचान संबंधित जो साक्ष्य मतदाता पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत की है । उसमें वादी के पिता का नाम भंवरलाल अंकित है जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार मुन्नीदेवी के पति का नाम नींबू अंकित है, जिसके संदर्भ में वादी द्वारा तथाकथित रूप से अपने पिता होने का कथन किया गया है। इसके साथ ही प्रस्तुत साक्ष्य(पहचान पत्र की प्रति) का विवादित भूमि ग्राम अचरोल से कोई संबंध भी स्पष्ट नहीं होता है। विवादित भूमि ग्राम अचरोल से वादी व वादी के पिता के संबंध होने संबंधि कोई स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

किया गया है तथा वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 21.12.2016 की जो प्रमाणित प्रति पेश की है उसके अन्तर्गत भी न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत अचरोल का नामन्तरण संख्या 389 दिनांक 21.05.2006 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेर को मात्र इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि वह मृतका मुन्नीदेवी के सही वारिसान के नाम दोनो पक्षो को सुनकर खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही नियमानुसार करें। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त आदेश की पालना की वर्तमान में क्या स्थिति है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं 2:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभाजन संबंधित अनुतोष के सन्दर्भ में वाद विभाजन की हद तक विड्रो किया गया है जिससे उक्त बिन्दु स्वतः ही सिद्ध किये जाने की भारिता से मुक्त है।

तनकी सं 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। चूकि तनकी सं 1 वादी के विरूद्ध तय की गई है। अतः यह तनकी स्वतः ही वादी की अधिकारिता के प्रतिकूल होने से वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं 4:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादी के संयुक्त परिवार की आराजी नहीं होने संबंधि अपने कथन के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा शिम्भूदयाल का भूमि के मृतक खातेदारों का गोद पुत्र होने का गैर प्रमाणिक कथन मात्र तो किया गया है परन्तु वादी के नींबू उर्फ भंवरलाल पुत्र छाजु का पुत्र नहीं होने संबंधित कोई ठोस/प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा शिम्भूदयाल का मृतक खातेदारों नींबू उर्फ भैरू पुत्र छाजू व मुन्नीदेवी पत्नी नींबू उर्फ भैरू (भंवरलाल) का गोद पुत्र होने बाबत भी कोई गोद नामा आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा भैरू उर्फ नींबू का सरपंच ग्राम पंचायत अचरोल द्वारा जारी जो गैर प्रमाणित वारिसनामा दिनांक 22.11.2004 का पेश किया गया है, वह भी संदेहास्पद है तथा अधिकारीक भी नहीं है। सत्यापित नहीं होने से उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर पढा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं 5:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा नींबू उर्फ भैरू पुत्र छाजू के नाऔलाद फौत होने तथा नींबू उर्फ भैरू पुत्र छाजू एवं नींबू की पत्नी मुन्नी देवी के अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी जाईन्दा पुत्र अथवा पुत्री को जन्म नहीं देने के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही किसी गवाह के ब्यान कलमबद्ध करवायें गये ना ही वादी की साक्ष्य का प्रभावी रूप से खण्डन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये है वें असत्यापित दस्तावेजात है जिनको रिकार्ड पर पढा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

तनकी सं 6:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा मृतक खातेदारों नींबू उर्फ भैरू पुत्र छाजू एवं नींबू की पत्नी मुन्नी देवी द्वारा शिम्भूदयाल पुत्र जालूराम को गोद लिये जाने के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य, गोदनामा आदी प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना कोई बयान कलमबद्ध करवाये गये है, ना ही वादी की साक्ष्य का जिरह अथवा मान्य विधिक रूप से खण्डन किया जा सका है। जहां तक प्रश्न उक्त मृतक खातेदारान का विरासत के आधार पर फौती नामान्तरण तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का है तो उक्त सन्दर्भ में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त नामान्तरण को निरस्त किया गया है। जिससे यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं 7:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा मृतक खातेदार नींबू के नाम व वल्दियत के संबंध में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मृतक खातेदार का नाम नींबू उर्फ भैरू है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2062—2065 अनुसार खातेदार का नाम मुन्नी बेवा नींबू अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी शिम्भूदयाल के मृतक खातेदारान का गोदपुत्र होने बाबत तथा कब्जा काश्त भी शिम्भूदयाल का होने के संबंध में भी कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं 8:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पत्रावली के सार से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 18, 21 व 22 सें चाहा गया है तथा प्रतिवादी सं 19 व 20 को मात्र लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है कोई अनुतोष उक्त प्रतिवादीगण से नहीं चाहा गया है। जिसका उल्लेख वादी द्वारा अपने वादपत्र के मद सं. 10 में किया भी गया है। इसके अतिरिक्त मात्र तकनीकी बिन्दु के कारण वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं 9:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रावधान के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वाद समयावधि के प्रावधान से बाधित नही होते है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष— हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा उभयपक्षकारान के अभिकथनों का गौर पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण मूल रूप से वादग्रस्त भूमि के मृतक रिकार्डेड खातेदार के वारिस घोषित किये जाने से प्रेरित है। [illegible] सं. 1 ल. 3 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसके सन्दर्भ [illegible] से स्वयं के कथनों को सिद्ध नहीं कर सका है, जिससे तनकी सं. [illegible] तय की गई है। चूँकि वादी मान्य दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने कथनों को सिद्ध नहीं कर [illegible] है। अतः उक्त परिपेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुऐ साक्ष्य के अभाव में वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु. जयपुर